**दिनांक: 23.03.2024**

**-प्रेस नोट-**

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 13 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थों एवं अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियनान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 22.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त गय्यूर पुत्र नजीर निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना जिला सहारनपुर** को ग्राम शेरपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 13 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई । बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना बिहारीगढ पर **मु0अ0सं0 54/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ व नशा करने का आदि हूँ। स्मैक सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –**

गय्यूर पुत्र नजीर निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-**

1.मु0अ0सं0 407/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
2.मु0अ0सं0 408/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
3.मु0अ0सं0 300/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जिला सहारनपुर
4.मु0अ0सं0 54/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण –**

13 ग्राम स्मैक नाजायज।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–**

1. उ0नि0 श्री इन्द्रजीत सिंह थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. है0का0 1025 रविन्द्र कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. का0 1557 गौरव कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

दिनांक -23.03.2024

-प्रेस नोट-

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

## थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 24 पव्वे देशी शराब गैर प्रान्त हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, नशीले पदार्थ व अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 23.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर **अभियुक्त रहीस पुत्र रशीद नि0 ग्राम गन्देवड़ा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को ग्राम गन्देवड़ा के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 24 पव्वे देशी शराब गैर प्रान्त हरियाणा मार्का बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 55/24 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय समक्ष के पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं हरियाणा से देशी शराब सस्ते दामो पर खरीद कर लाता हूँ और ज्यादा लाभ कमाने के लिये आस पास के क्षेत्रों में ऊँचे दामो पर बेच देता हूँ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

रहीस पुत्र रशीद नि0 ग्राम गन्देवड़ा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण-**

24 पव्वे देशी शराब गैर प्रान्त हरियाणा मार्का

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–**

1. उ0नि0 श्री विजयपाल सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 24 सुनील थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 23.03.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**

## थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा एक शातिर शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 25 पव्वे अग्रेजी शराब अरूणाचल प्रदेश मार्का के साथ गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एवं मादक पदार्थो की तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा एक शातिर शराब तस्कर अभियुक्त **नीटू पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम कोलकी कला थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को कोलकी फ्लाईओवर के नीचे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से **25 पौवे अग्रेजी शराब मार्का अरूणाचल प्रदेश मार्का** बरामद हुयी। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना गागलहेडी पर **मु0अ0सं0 0051/2024 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त नीटू उपरोक्त ने बताया कि साहब मेरे ऊपर शराब के पहले भी कई मुकदमे है मै शराब को बाहर दूसरे राज्यों से कम दाम मे खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में ज्यादा दामो मे बेच देता हूँ। जिससे मुझे अच्छा मुनाफा होता है। आज भी मे शराब बेचने जा रहा था, कि पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड लिया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

नीटू पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम कोलकी कला थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

### बरामदगी का विवरण –

25 पौवे अग्रेजी शराब अरुणाचल प्रदेश मार्का।

### आपराधिक इतिहासः-

- मु0अ0सं0 140/2019 धारा 60 आबकारी अभियुक्त थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
- मु0अ0सं0 080/2021 धारा 60 आबकारी अभियुक्त थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
- मु0अ0सं0 0051/2024 धारा 60/63 आबकारी अभियुक्त थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 राजकुमार तोमर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
2. का0 2534 राजीव कुमार थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 23.03.2024

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 18 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एवं मादक पदार्थ/ अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.03.2024 को मुखबिर की सुचना पर चैकिंग के दौरान थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा एक शातिर शराब तस्कर **आकाश पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम औलरा थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को औलरा पुल से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त आकाश उपरोक्त के कब्जे से **18 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का** बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नानौता पर **मु0अ0स0 66/24 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम** पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त आकाश उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै पुलिस से छिपकर हरियाणा प्रान्त से सस्ते दामो मे शराब लाकर यहाँ पर शराब को लोगो को अधिक दामो मे बेच देता हूं। जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। आज भी मै यह शराब हरियाणा राज्य से लाकर यहां बेचने के लिये जा रहा था कि पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड लिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-**

आकाश पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम औलरा थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

**बरामदगी का विवरणः-**

18 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1. उ0नि0 शीशपाल सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 नीरज सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 23-03-2024

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना गागलहेड़ी व उड़न दस्ता की संयुक्त टीम द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत की जा रही संघन चैकिंग के दौरान संदिग्ध कार से 09 लाख 50 हजार रूपये की धनराशि बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की लगातार संघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री संदीप कुमार के कुशल नेतृत्व मे थाना गागलहेड़ी व उडन दस्ता (एस0एस0टी0) की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान दिनांक 22.03.2024 को रात्रि में थाना गागलहेड़ी के गेट से सामने सहारनपुर की तरफ से आती क्रेटा गाड़ी रजिस्ट्रेशन सं0- UK 17 U 8400 आती दिखायी दी जिसको संदिग्ध प्रतीत होने पर रूकवाया गया तथा गाडी चालक द्वारा अपना नाम शाहनवाज पुत्र उसमान अली निवासी सकरपुर पोस्ट सलेमपुर राजपूताना तहसील रूड़की जनपद हरिद्वार बताया और जब गाडी की चैकिंग की गयी तो सीट पर एक थैला रखा मिला, थैले को खोलकर चैक किया गया तो उसमें 9,50,000/- रूपये (नौ लाख पचास हजार रूपये) कैश मिले, बरामद कैश के सम्बन्ध में चालक शाहनवाज से प्रपत्र मांगे गये तो कोई प्रपत्र नहीं दिखा सका और न ही सन्तोषजनक जवाब दे पाया। प्रकरण के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर संदिग्ध 09,50,000/-रूपये को थाना गागलहेड़ी व उड़न दस्ता की संयुक्त टीम द्वारा कब्जे में लिया गया। उपरोक्त रूपयों की बरामदगी के संबंध में श्री जयवीर सिंह (मजिस्ट्रेट) द्वारा विधिक कार्यवाही कर रूपयों को ट्रेजरी में जमा कराया जा रहा हैं।

**नाम पता (जिससे नकदी बरामद हुई)-**

शाहनवाज पुत्र उसमान अली नि0 सकरपुर पोस्ट सलेमपुर राजपूताना तहसील रूडकी जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

**बरामदगी का विवरण**

- 9,50,000/- रूपये नगद बरामद

**नकदी बरामद करने वाली टीमः-**

1. श्री सन्दीप कुमार थाना प्रभारी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. श्री जयवीर सिंह (मजिस्ट्रेट) एस0एस0टी टीम
3. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 641 रवि कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
5. का0 2259 पालेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट -

दिनांक: 23-03-2024

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना बेहट,सहारनपुर पुलिस द्वारा धोखाधडी के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 17.02.2024 को वादी श्री सुनील पुत्र वेदसिंह निवासी मौ0 संजय कालौनी कस्बा व थाना बेहट जिला सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बाबत दीपक शर्मा पुत्र गोवर्धन निवासी ग्राम टाबर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर द्वारा धोखा धडी कर महिलाओ के फर्जी कागजात बनाकर SVCL PRIVATE LIMITED फाईनेन्स कम्पनी से 49,99,066/- रूपये निकालकर हडप लेने के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0 53/2024 धारा 420,/406,467/468/471/,120बी भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, धोखाधड़ी की धटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमें का वांछित अभियुक्त **दीपक शर्मा पुत्र गोवर्धन निवासी टाबर थाना नकुड जिला सहारनपुर** को कस्बा बेहट से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता-**

दीपक शर्मा पुत्र गोवर्धन निवासी ग्राम टाबर थाना नकुड जिला सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-**

1.प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर

2. व0उ0नि0 श्री मेहर सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 23.03.24

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना देवबन्द पुलिस द्वारा अपमिश्रित कच्ची शराब बेचने वाले शातिर नशा तस्कर अभियुक्त को 20 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब सहित किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम व अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.03.2024 को थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अपमिश्रित कच्ची शराब बेचने वाले शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त मेहरबान उर्फ मोनू पुत्र रिजवान नि0 मौ0अब्दुल हक निकट कमाल शाह मस्जिद टपरकी वाला थाना देवबन्द सहारनपुर** को बाबूपुर नंगली मार्ग पर रजवाहे की पुलिया से आगे ईंट भटटे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0स0 142/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम व 272/273 भादवि पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मै कच्ची शराब को यूरिया खाद मिलाकर उसकी तीव्रता बढा देता हूँ और जहाँ मांग होती है मांग आने पर वहाँ जाकर महंगे दामो पर बेच देता हूँ जिससे मुझे भारी मुनाफा होता है आज भी इस प्लस्टिक कैन मे 20 लीटर कच्ची अपमिश्रित शराब लेकर बेचने के लिए जा रहा था कि आप लोगो ने पकड़ लिया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–**

मेहरबान उर्फ मोनू पुत्र रिजवान नि0 मौ0अब्दुल हक निकट कमाल शाह मस्जिद टपरकी वाला थाना देवबन्द सहारनपुर

**आपराधिक इतिहास –**

1. मु0अ0स0 92/08 धारा 201/302/394/411 भादवि चालानी थाना देवबंद
2. मु0अ0स0 203/08 धारा 384/506 भादवि चालानी थाना देवबंद
3. मु0अ0स0 246/08 चालानी थाना देवबंद

**विवरण बरामदगीः-**

20 ली0 अपमिश्रित कच्ची शराब

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1. उ0नि0 श्री राजन पुण्डीर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री संजीव त्यागी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. है0का0 981 निशांत कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
4. का0 2107 रवि राठी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 23.03.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा शान्ति भंग करने के कारण 02 अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम व जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए लगातार कडी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री संदीप कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.03.24 को उ0नि0 मुनफैत अली मय हमराह का0 464 शोभित द्वारा ग्राम घडकोली मे **प्रथम पक्ष** के रजनीश कुमार पुत्र शिवचरण सिंह नि0 सम्भलहेडी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर उम्र करीब- 41 वर्ष व **द्वितीय पक्ष** के मेहरबान पुत्र फुरकान नि0 घडकोली थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर उम्र करीब- 27 वर्ष आपस में तारबाडी व जमीन के रास्ते को लेकर आमदा फसाद होने के सम्बन्ध मे अभियुक्त रजनीश व मेहरबान को शान्ति भंग करने के कारण अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार किया गया। अभि0गण के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय भेजा जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-**

1. रजनीश कुमार पुत्र शिवचरण सिंह नि0 सम्भलहेडी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर उम्र करीब- 41 वर्ष
2. मेहरबान पुत्र फुरकान नि0 घडकोली थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-----**

1. उ0नि0 मुनफैत अली थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
2. का0 464 शोभित थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।